भारतीय मानक ब्यूरो
(सर्तकता विभाग)

हमारा संदर्भ: सतर्कता/10:13/2018-19/1460 दिनांक:06.01.2020

विषय: ***समूह 'क' अधिकारियों द्वारा वर्ष 2019 (01 01 2020तक की) वार्षिक अचल सम्पति की रिटर्न जमा करना ।***

समूह 'क' के सभी अधिकारियों से यह अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 18(1)(ii) के अनुसार वर्ष 2019 (01 01 2020 तक की) वार्षिक अचल सम्पति की रिटर्न दिनांक **31 जनवरी 2020** तक सर्तकता विभाग को भेजें ।

यह देखा गया है कि कुछ समूह `ए' के अधिकारियों ने "ज्ञात नहीं / कोई विचार नहीं" लिखा है या निर्धारित प्रोफार्मा वीजी -6 के "कॉलम "4" को खाली रखा है। वीजी - 6 के प्रत्येक कॉलम को भरने की आवश्यकता है। यदि सटीक मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है/ज्ञात नही है तो अनुमानित मूल्यांकन को दिया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि कुछ अधिकारी अपने एआईपीआर में "कोई नहीं, कोई बदलाव नहीं, पिछले साल की तरह" भर रहे हैं। सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से अपनी संपति का ब्योरा देना आवश्यक है यद्यपि, वह पिछली बार की भरी हुई एआईपीआर की पुनरावृत्ति हो।

इसके अलावा, यह देखा गया है कि निर्धारित प्रोफार्मा (वीजी 6) में अचल संपत्ति का विवरण भरते समय, कुछ अधिकारी केवल केंद्र में `कुछ नहीं' का उल्लेख कर रहे हैं। और, बाकी कॉलम खाली छोड़ दिए गए हैं। इस संबंध में, यह सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाता है कि प्रोफार्मा का प्रत्येक कॉलम विशिष्ट जानकारी से भरा होगा और कोई कॉलम `रिक्त' नहीं छोड़ा जाएगा, उदाहरण के लिए, यदि जानकारी सभी के लिए `कुछ नहीं' है, तो भी प्रत्येक कॉलम में 'कुछ नहीं' शब्द दोहराया जाना चाहिए।

उपरोक्त के मद्देनजर, सभी अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के अवलोकन के अनुपालन में अपने एआईपीआर को फिर से जमा करने की सलाह दी जाती है। जिन अधिकारियों ने अभी तक अपना एआईपीआर जमा नही किया है, उनसे से भी अनुरोध है कि वे उपर्युक्त टिप्पणियों का संज्ञान लें और तदनुसार अपने एआईपीआर भरें।

सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाता है की उक्त विषय पर डी.ओ.पी.टी. के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बीआईएस के ऐसे सभी अधिकारी जो अपनी वर्ष 2019 (01 जनवरी 2020 तक की) एआईपीआर दिनांक 31.01.2020 तक भरकर प्रस्तुत नहीं करेंगे, उन्हे विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जाएगी।

चित्रा गुप्ता 6/1/2020

वैज्ञानिक-एफ (सतर्कता)

भामाब्यूरो मुख्यालय के सभी विभागों/अनुभागों, प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा, केद्रीय प्रयोगशाला/सभी क्षेत्रीय/शाखा/निरीक्षण कार्यालयों को परिचालित

प्रतिलिपि : प्रमुख (आईटीएस) - इंट्रानेट पर होस्ट करने के अनुरोध के साथ।

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(Vigilance Department)

Our Ref: Vig/10:13/2018-19 /1459   06**.01.2020**

Sub: ***Furnishing Annual Immovable Property Return (AIPR) for the year 2019 (as on 01 January 2020) by Group "A" officers***

All Group 'A' officers are requested to submit their Annual Immovable Property Return (AIPR) for the year 2019 (as on 01 January 2020) as per Rule 18(1)(ii) of CCS (Conduct) Rules, 1964 to Vigilance Department, BIS Headquarters latest by **31st January 2020.**

It has been observed that some Group `A' Officers have written "not known/no idea" or have kept blank the Column `4' of Prescribed Proforma VG-6 i.e. "Present Value". Every column of VG-6 is required to be filled in. If the exact valuation is not available/known, then the approximate valuation has to be indicated. Further, it has also been observed that some Officers are filling in their AIPR as "None, No Change, same as last year". The Officers are required to mention categorically whatever property they are holding even if it is repetition of the last AIPR submitted or `NIL', whichever the case may be.

Additionally, it has also been observed that while filling the Statement of Immovable Property in the prescribed proforma (VG 6), some Officers are mentioning `NIL' in centre only. And, the rest of the columns are left blank. In this connection, it is brought to the notice of all concerned that each and every column of the proforma must be filled with specific information and no column shall be left `blank', For example, if the information is `NIL' for all the columns, then also the word `NIL' should be repeated in each and every column.

In view of the above, all Officers are advised to re-submit their AIPR in compliance with the observation of the Competent Authority. The Officers, who are yet to submit their AIPR, are also requested to take cognizance of the above mentioned observations and fill in their AIPRs accordingly.

It is brought to the notice of all concerned that in compliance with DoPT guidelines on the subject, vigilance clearance shall not be granted for all such officers of BIS who do not submit their AIPR for the year 2019 (as on 01st January 2020) latest by 31st January 2020.

6/1/2020

Scientist-F (Vigilance)

Circulated to all Departments/Sections at HQs, Training Institute-Noida, CL and Regional/Branch/Inspection Offices of BIS

Copy to Head (ITS): With a request to host on BIS-Intranet